कार्यालय सहायक निदेशक राज्य महिला सदन सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, जयपुर।

कमांकः–

दिनाक :–

निविदा सूचना 02/2020–21

राज्यपाल महोदय की ओर से राज्य महिला सदन प्रतापनगर सांगानेर जयपुर मे आवासनियों के लिए निम्नांकित कार्यो हेतु अनुभवी फर्मो/संस्थाओ ,व्यक्ति जिनके पास श्रम विभाग व सर्विस टैक्स का पंजीयन प्रमाण पत्र हो से निर्धारित प्रपत्र मे सील बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते आदि इस कार्यालय मे निर्धारित शुल्क रूपये 200/– जमा करवाकर दिनांक 17.11.2020 को 5 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

क.सं.	निविदा कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा खोलने की दिनांक
1	राज्य महिला सदन में आवासनियों के लिए फल एवं सब्जी आपूर्ती	300000/–	6000/–	18.11.2020 सांय 2 बजे

भरी हुई निविदाये मय अमानत राशि के दिनांक 18.11.2020 को अपरान्ह 1 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे जमा करायी जा सकती है। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाये उपरोक्तानुसार दिनांको को उसी दिन सांय. 2 बजे कय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जावेगी। निविदा शर्तो की विस्तृत जानकारी विभागीय बेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

–Sd-

सहायक निदेशक
राज्य महिला सदन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर।

कमांकः– 715-19

दिनांकः– 6-11-2020

प्रतिलिपि

1. श्रीमान निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रमर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर को भेजकर लेख है कि इसे विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित करावे।
3. श्रीमान वित्तिय सलाहकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4 श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. नोटिस बोर्ड राज्य महिला सदन।

सहायक निदेशक
राज्य महिला सदन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक राज्य महिला सदन सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग
रामसिंहपुरा शिकारपुरा रोड प्रतापनगर , सांगानेर, जयपुर।
तकनीकी निविदा

विषयः–फल / सब्जी की आपूर्ती का ठेका देने बाबत निविदा।

1. निविदादाता का नाम व डाक का पूरा पता.. ....
....
....
दूरभाष नं. .... ईमेल..

2 संदर्भ निविदा विज्ञप्ति कमांक .... दिनांक ....

3 निविदा शुल्क की राशि रूपये 200@& चालान / डी.डी. / बैकर्स चैक संख्या.........................दिनांक.................

4 धरोहर राशि हेतु ASSTT. DIRECTOR MAHILA SADAN JAIPUR के पक्ष मे जारी चालान / डी.डी. / बैकर्स चैक संख्या.........................दिनांक................सं. ....दिनांक .... राशि रू. .... संलग्न है।

5 बोली हेतु पात्रता की शर्ते / विवरण :–

क्र.स.	विवरण	रजि.स.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	सलंग्नक क्रमाकं
1	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958				
2	आयकर पैन नम्बर				
3	वस्तु एव सेवा कर				

6. यह दर एक वर्ष तक (आपूर्ति प्रारंभ होने की तिथि से) के लिये मान्य है।
यह संविदा एग्रीमेन्ट एग्जीक्यूशन की दिनांक से एक वर्ष के लिये प्रभावी होगी।

9. निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... जो कि सहायक निदेशक राज्य महिला सदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के द्वारा जारी की गई है, मे वर्णित समस्त शर्तों की पालना के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्ते जो संलग्न पृष्ठ मे दी गई है जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने की प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

सहायक निदेशक राज्य महिला सदन सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग
रामसिंहपुरा शिकारपुरा रोड प्रतापनगर , सांगानेर, जयपुर।
निविदा प्रपत्र प्राईस बिड

विषयः—फल/सब्जी की आपूर्ती का ठेका देने बाबत निविदा।

1 निविदादाता का नाम व डाक का पूरा पता...
....
....

दूरभाष नं. .... ईमेल..

2 संदर्भ निविदा विज्ञप्ति कमांक .... दिनांक ....

3 निविदा शुल्क की राशि रूपये 200@& चालान/डी.डी./बैकर्स चैक संख्या........................दिनांक.................

2 धरोहर राशि हेतु **ASSTT. DIRECTOR MAHILA SADAN JAIPUR** के पक्ष मे जारी चालान/बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट सं. ....दिनांक .... राशि रू. ....संलग्न है।

3 फल/सब्जी की आपूर्ती की हमारी दर निम्न प्रकार हैः—

मद	दर प्रतिकिलो
1. विभिन्न सब्जियों की मौसम के अनुसार आपूर्ति हेतु	अंको में.........................
	शब्दो में ....
2. फल केला	अंको में.........................
	शब्दो में ....
3. फल सेव	अंको में.........................
	शब्दो में ....
4. फल अमरूद	अंको में.........................
	शब्दो में ....
5. फल मौसमी/संतरा	अंको में.........................
	शब्दो में ....
6. फल आम	अंको में.........................
	शब्दो में ....
7. फल अंगुर	अंको में.........................
	शब्दो में ....
8. फल नासपति	अंको में.........................
	शब्दो में ....
9. मौसम के अनुसार फल	अंको में.........................
	शब्दो में ....

निविदा की समस्त शर्तो के अनुसार फल/सब्जी आपूर्ती उक्त दरो पर सहायक निदेशक के आदेशानुसार/ माग पत्र के अनुसार आपूर्ती करने के निविदादाता प्रतिबद्व रहेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय नाम व पता

परिशिष्ट "अ"

घोषणा पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते है कि हमने निविदा शर्तों के विरूद्ध कोई शर्तें नही लगाई है यदि कहीं अंकित कर दी गई है तो निविदा स्वतः अस्वीकार मानी जायेगी।

यह है कि श्रम विभाग मे श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या .... दिनांक.................. है। यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा। और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई तो उसे निरस्त कर अमानत राशी (सिक्यूरिटी) जब्त कर ली जावेगी।

दिनांकः–

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम एवं पता

करार पत्र

1. यह करार पत्र आज दिनांक ....माह..........सन्..........को एक पक्ष के ....(जिसे इसमे आगे अनुमोदित सेवा प्रदाय कर्ता कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति मे, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को (शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमे आगे सरकार कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति मे, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।

2. चूंकि सेवा प्रदाय कर्ता राजस्थान राज्य के सहायक निदेशक, राज्य महिला सदन, जयपुर कार्यालय को (संख्या) ....(कर्मकार) .... की सेवायें संविदा की शर्तों मे दिये गये तरीके से तथा कार्यादेश संख्या दिनांक .... मे दी गई दरो पर प्रदाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।

3. एवं चूंकि सेवा प्रदाय कर्ता ने रूपये की राशि निम्न प्रकार से जमा करायी है:–

(1.) नकद / बैंक ड्राफ्ट / चालान संख्या / बैंकर्स चैक / रसीद संख्या .... दिनांक.................................द्वारा

(2.) विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत रहेन रखकर डाकघर बचत बैंक पासबुक के रूपमें,

(3.) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों / डिफेंस सेविगस सर्टिफिकेटस / किसान विकास पत्रों या किन्ही अन्य स्क्रिप्ट / इन्सट्रमेन्टस के रूप मे, यदि इन्हे सम्बन्धित नियमों के अधीन (प्रमाण पत्र उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किये जाएगें) उक्त करार के निष्पादन के लिए प्रतिभूती के रूप मे गिरवी रखा जा सकता है।

4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है।

(1) कार्यादेश सं. .... दिनांक.......................... दी गई दरों पर .... के मार्फत सरकार द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल मे सेवा प्रदायकर्ता.................................. में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तों मे दिये गये तरीके से उक्त फल / सब्जी की विधिवत सप्लाई करेगा।

(2) निविदा सूचना संख्या दिनांक .... से संलग्न सीमित निविदा हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र से जुडी शर्तों को इस करार पत्र के भाग के रूप मे लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगी।

(3) निविदादाता से प्राप्त पत्र मे संख्या .... तथा सरकार द्वारा जारी किये गये पत्र सख्याएं....................... भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न दिये गये हैं, इस करार पत्र के भाग के रूप मे होंगे।

(4) सेवा प्रदायकर्ता कार्यादेश सं. .... दिनांक......................... मे उल्लेखित अवधि / तिथि तक निर्धारित संख्या मे फल / सब्जी की आपूर्ती करेगा

5. सरकार एतद द्वारा स्वीकार करती है कि यदि फल / सब्जी की आपूर्ती की उपर्युक्त तरीके से विधिवत सेवा प्रदाय करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा, तथा उन्हे बनाये रखेगा, तो सरकार .... के माध्यम से अनुमोदित सेवा प्रदाय को उक्त शर्तों मे दिये गये समय पर तथा तरीके से सेवा प्रदाय के लिए देय राशि का भुगतान करेगी या करवाएगी।

6. सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा असंतोषजनक पाई जाती है तो अनुबन्ध को निरस्त करते हुये फर्म को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।

7 समस्त विधिक कार्यवाही , यदि किसी भी संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी (पक्षकार सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर मे जिला **न्यायालय मे ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी ।**

इसकी साक्षी मे इसमे पक्षकारों ने आज दिनांक .... माह................. सन.............. को अपने हस्ताक्षर किंये।

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से — अनुमोदित सेवा प्रदाय कर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांक : साक्षी सं. 1 साक्षी सं. 2 — दिनांक : साक्षी सं. 1 साक्षी सं. 2

प्रतिबन्ध एवं शर्ते

टिप्पणी :– निविदादाताओ को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इन्हे पूर्णरूप से स्वीकार किया जाना चाहिये।

निविदाओ को निविदा सूचना मे दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे मे बन्द करना चाहिये

2. व्यक्ति / laLFkk@QeZ द्वारा प्रस्तुत निविदाओ पर कय समिति द्वारा विचार किया जावेगा । इस संबंध मे कय समिति का निर्णय अतिम होगा।
3. ठेकेदार को रूपये 6000/– बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) बैक Mz~kQV@cSadlZ चैक के द्वारा सहायक निदेशक राज्य महिला सदन जयपुर के नाम निविदा पत्र के साथ जमा करानी होगी। बिना बयाना राशि जमा कराये निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. (i) फर्म आदि के गठन को किसी भी परिवर्तन की सूचना केता अधिकारी को लिखित मे अनुबन्धित QeZ@laLFkk द्वारा दी जायेगी एवं इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से , फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
(ii)संविदा के संबंध मे फर्म मे किसी भी नये भागीदार / भागीदारो को ठेकेदार द्वारा फर्म मे तब तक स्वीकार नही किया जायेगा जब तक वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं केता अधिकारी को इस संबंध मे लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते ।

   (iii)प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद मे उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भी भागीदार को रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा यह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।
5. निविदादाताओ द्वारा दरे उचित स्थान पर अंको एवं शब्दो दोनो मे लिखनी चाहिये। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ एवं काट छांट पर निविदा दाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र स्याही या टंकण मे भरा जावेगा।
6. मोहरबन्द निविदा प्रपत्र मय बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि................. (अक्षरे...) दिनांक................ को .... बजे तक सहायक निदेशक राज्य महिला सदन सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग रामसिंहपुरा शिकारपुरा रोड प्रतापनगर सांगानेर जयपुर के कार्यालय मे रखे हुये टेण्डर बाक्स मे पहुंच जानी चाहिये तथा उसी दिन .... बजे निविदा खोली जावेगी ।
7. विधि मान्यता : निविदाये खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
8. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके लिये सारवान भाग को किसी अन्य किसी ऐजेन्सी के लिये नहीं सोपेंगा या उप भाडे पर (सबलेट) पर नहीं देगा।
9. निविदादाता का या उसके प्रतिनिधि के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप से अपना पक्ष समर्थन एक प्रकार की अनर्हता होगी।
10. असफल निविदादाताओ को बयाना राशि एक माह के भीतर निविदा स्वीकृत होने की तिथि से वापस कर दी जावेगी।
11. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :–
    1. सफल निविदा दाता को आदेश के प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप मे एक करार 500@& रु. के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदायें स्वीकार की गई हे।उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिनको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है। सात दिवस के भीतर जमा कराई जायेगी।
    2. निविदा के समय जमा कराई गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जावेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी स्थिति मे बयाना राशि से कम नहीं होगी।
    3. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।
    4. प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें:–

    (क) cSd ड्राफट /बैंकर्स चैक चालान की रसीदी प्रति ।

    (ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

    (ग) अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओ के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, डिंफेस सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अन्य कोई fLdzIV@foys[k ;fn उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो इन प्रमाणपत्रो को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वैल्यू) पर स्वीकार किया जायेगा।

    5. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति निशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।
    6. प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद , यदि कोई देय बकाया नहीं है तो लिखित प्रार्थनापत्र देने की दिनांक से एक माह मे लौटा दी जायेगी।

12. बयाना राशि को निम्नलिखित मामलो मे समपहरण कर लिया जायेगा:–
    1. जब निविदा दाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है उसमे उपान्तरण करता है।
    2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता हो।

3. जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो।

4. जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने मे असफल रहता हो।

13. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप ठेकेदार द्वारा से निम्नलिखित मामलो मे समपहत कर लिया जायेगा।

1. जब संविदा की शर्तो का उल्लघंन किया गया हो ।
2. जब निविदा दाता सम्पूर्णकार्य संतोषजनक ढंग से करने मे असफल रहा हो ।
3. प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले मे युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सबंध मे केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

14. ठेके एक वर्ष की अवधि मे यदि फल सब्जी आपूर्ति कार्य संतोषजनक पाया गया तो, आपूर्ति का ठेका तीन माह व अधिकतम 6 माह तक उन्ही शर्तो व दरो पर आपसी सहमति से बढाया जा सकता हैं।

15. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्व करने का अधिकार सहायक निदेशक राज्य महिला सदन को होगा।

16. सरकार द्वारा विहीत सेवाकर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर आदि ठेकेदार द्वारा ही वहन किये जायेगे।

17. भुगतानः– भुगतान अग्रिम नही किया जायेगा जब तक पक्षकारो के मध्य अन्यथा सहमति नही हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदा दाता द्वारा केता अधिकारी को उचित प्रारूप मे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमो के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर विचार किया जायेगा।

18. यदि निविदा दाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो उसमे वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध मे है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप मे कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत मे इनमे से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा जब तक कि केता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र मे विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो ।

19. केता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यकरूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने ,बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन कार्यो के लिये निविदा दाता ने निविदा दी है,उन सबके लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म /सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

20. निविदा दाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

अ यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी उल्लेख की एक अभिप्रमाणित प्रति ।

ब यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजिकृत हो तो पंजीयन संख्या वं उसका वर्ष।

स एक मात्र व्यक्ति के मामले मे आवास एवं कार्यालय का पता एवं टेलीफोन नम्बर

द कम्पनी के मामले मे कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र

21. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर सहायक निदेशक का निर्णय अंतिम होगा व ठेकेदार को मानना होगा।

22. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर मे जिला न्यायालय मे ही पेश किया जायेगा अन्यत्रं पेश नहीं किया जायेगा।

23. निविदा के लिफाफे पर " फल सब्जी आपूर्ति हेतु ठेका " अंकित किया जावें

24. निविदा में भरी जाने वाल दर संस्था के भण्डार तक सामग्री पहुचाने के लिए होगी ओर उसमें सभी प्रकार के कर गाडी बाडा आदि शामिल होगें।

25. फल/सब्जियों की गुणवक्ता सुनिश्चित करने हेतु एक समिति का गठन किया जावेगा, फल/सब्जी ठीक किरम की नही होने पर स्वीकार नही की जाएगी। अस्वीकृत माल को ठेकेदार को स्वंय के व्यय पर इस हेतु निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से उठाना होगा।

26. एक बार ठेका तय हो जाने पर ठेकेदार को सम्पूर्ण अवधि तक अनुमोदित दरों आपूर्ति करनी होगी, चाहे कोई अनपेक्षित घटना या परिस्थिति ही उत्पन्न क्यों न जो जाए। यदि किसी वस्तु पर नियंत्रध है या हो जाय और उसके लिए सरकार से अनुमोदित पत्र की जरूरत हो तो विभाग इस हेतु ठेकेदार की सहायता करने का प्रयत्न करेगा। इस स्थिती मे भुगतान अनुमोदित टेण्डर दरो अथवा नियंत्रित दरो दोनो मे से जो भी कम होगी, उसी के अनुसार किया जावेगा।

27. 1. निविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

2. परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में ,वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मुल्यों के लिए की जायेगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है।

28. आदेशानुसार माल की आपुर्ति एक साथ करनी होगी। छोटे छोटे भागो में आपूर्ति स्वीकार नही की जावेगी। यदि ठेकेदार भागों में सप्लाई करता हैं तो उस पऱ एक क्रय आदेश की आपूर्ति नही करने पर रूपयें 500/– अथवा आपूर्ति नही की गई सामाग्री मूल्य जो भी अधिक होगा भुगतान योग्य बिल मे से कॉट कर भुगतान किया जावेगा।

29. सब्जियों तथा फलों की आपूर्ति हेतु मांग के अनुसार जारी किया जाएगा आदेशित फल एवं सब्जी आजार में उपलब्ध नही होने पर पूर्ण सन्तुष्ट होने पर ही अन्य फल सब्जी का आदेश दिया जाएगा।